राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

पुरखों की कृशि भूमि का तीसरी पीढ़ी ने किया सहमति से बंटवारा

झालावाड़ 2 जुलाई/राजस्व लोक अदालतों में ऐसे–ऐसे विवादों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है जो कितने पुराने हैं यह स्वयं पक्षकारान को भी ज्ञात नहीं है। ऐसा ही एक प्रकरण गुरूवार को ग्राम पंचायत बि ानखेड़ी की उपखण्ड अधिकारी खानपुर हनुमान सिंह गुर्जर की लोक अदालत में सुनवाई हेतु पे ा हुआ।

वादी मांग्या पुत्र बालक्या ने बंटवारे का एक वाद जून 2015 में उपखण्ड न्यायालय में प्रतिवादीगण उसके भतीजों के भैरूलाल, गजानन्द, रामदेवा, बृजमोहन, पुश्पाबाई पिसरान छीत्या व कान्हा, मोहन पुत्र कजोड़ व घीसीबाई पत्नि स्व. कजोड़ निवासी उम्मेदपुरा के विरूद्ध ग्राम बागोद के खसरा नं0 28 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा और खसरा नं0 229 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के बटवारे का दावा कर रखा था।

राजस्व लोक अदालत बि ानखेड़ी में अन्य पत्रावलियों के साथ साथ यह पत्रावली भी सुनवाई के लिए रखी गई थी। जब उनकी पे ाी की बारी आई तो पक्षकारान आपस में राजी नहीं थे। कुछ पक्षकारान बंटवारे के लिए राजी थे तो कुछ पक्षकारान बंटवारा नहीं चाहते थे। वे आपस में नई पुरानी घरेलू बातों को बता बता कर झगड़ने लगे।

लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही निस्तारण किया जाना था। इसलिए उपखण्ड अधिकारी खानपुर ने कैम्प कोर्ट में उपस्थित तहसीलदार खानपुर प्यारे लाल शर्मा से कहा कि वे पक्षकारान को पूरी कानून स्थिति बतायें और उनमें राजीनामा करने का प्रयास करें।

तहसीलदार खानपुर प्यारे लाल शर्मा की एक घण्टे की समझाई ा के बाद पक्षकारान राजीनामा से बंटवारा करवाने के लिए राजी हो गए और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। उपखण्ड अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर ने पत्रावली पर सभी पक्षकारान की सहमति प्राप्त की और बंटवारा करने का निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार राजस्व लोक अदालत में की गई समझाई ा के प्रभाव से खु ाी–खु ाी पुरखों की भाामलाती कृशि भूमि का तीसरी पीढ़ी में बंटवारा हुआ।

बंटवारा के कागजात लेकर पक्षकारा बहुत खु ा हुए। उन्होंने बताया कि हमें वि वास ही नहीं हो रहा कि हमारी भूमि का बंटवारा हो गया। यह जमीन हमारे दादा बालक्या के पिता की है। बालक्या के पिता का नाम पक्षकारान को भी याद नहीं है। दादा बालक्या और उसके पुत्र सभी की मृत्यु हो चुकी है। उनमें से केवल एक वादी जिंदा है। वादी ने अपने भतीजों के विरूद्ध बंटवारे का दावा किया था जिसका आज राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हुआ है।

पक्षकारान ने लोक अदालत में बताया कि उनके बीच आए दिन इस शामलाती भूमि को लेकर तरह तरह के विवाद और मनमुटाव होते रहते थे। पर भला हो इस लोक अदालत का जिसमें हमारे खाते की भूमि का बंटवारा हो गया। हम तो गंगा नहाए। भूमि का अलग अलग बंटवारा हो जाने से सभी भाई भतीजों ने वादा किया कि फिर से एक दूसरे के सुख–दुख में साथ रहेगें। उन्होने बताया कि इससे पहले हमने मोत मरण व भाादी ब्याह तक में एक दूसरे के यहां आना जाना छोड़ रखा था।

पंचायत की ओर से सभी पक्षकारान को माला पहना कर उनका स्वागत किया। लोक अदालत में पक्षकारान के बीच हुई सहमति की सभी ने प्र ांसा की और सभी पक्षकारान को बधाईयाँ दी।

————————